अध्याय – I

प्रस्तावना

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिकए शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए तथा सेवाओं और पदों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान में विशेष सुरक्षणों का प्रावधान किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन सुरक्षण के विभिन्न उपबंधों को संतोषजनक ढंग से कार्यान्वित किया जाता है,। संविधान के अनुच्छेद 338 (I) के अधीन नवम्बर, 1950 में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गयी जिसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त कहा गया। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त को उपरोक्त सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की जांच करने और इन सुरक्षणों के कार्यान्वयन के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करने की शक्ति प्रदान की गयी। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित विभिन्न सुरक्षणों के कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए जुलाई 1978 में एक बहु–सदस्यीय निकाय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की भी स्थापना की गयी। इस आयोग के कार्यों में सितम्बर, 1987 में परिवर्तन किया गया। और इसका नया नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग रखा गया है और इसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए नीति विकास स्तरों पर सलाह देनेवाली राष्ट्रीय स्तर का परामर्शी निकाय बना दिया गया। इस बात को देखते हुए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कितनी अधिक समस्याओं का सामना करना पडता है और उन पर ध्यान दिया जाना कितना अधिक महत्पूर्ण है, संविधान के अनुच्छेद–338 में संशोधन किया गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयोग को (जिसे इसके बाद आयोग कहा गया है) संविधान (पैसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 के अधीन सांविधानिक दर्जा दिया गया। प्रथम सांविधानिक आयोग 12 मार्च, 1992 को बना जिसके अध्यक्ष श्री रामधन थे। यह सांविधानिक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त और सितंबर 1987 में गठित आयोग दोनों के स्थान पर, बनाया गया था। वर्तमान आयोग अक्तूबर, 1995 में गठित किया गया। आयोग में निम्नलिखित व्यक्ति है:

1. श्री एच. हनुमनतप्पा, संसद सदस्य (राज्यसभा), अध्यक्ष
2. श्रीमती ओमेम मोयोंग देवरी, उपाध्यक्ष
3. श्री नरसिंह बैठा, सदस्य
4. श्रद्धेय लामा लोबजंग, सदस्य
5. श्री नरेश चंद्र चतुर्वेदी, सदस्य
6. श्री बी. यादय्या, सदस्य
7. श्री आनंद मोहन बिस्वास, सदस्य

आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का दर्जा क्रमशः केन्द्रीय केबिनेट मंत्री और राज्य–मंत्री का है।

1.2 संविधान के संशोधित अनुच्छेद –338 (**अनुबंध**-1.I) में यथाउपबंधित के अनुसार आयोग के कार्यों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित विभिन्न सुरक्षणों का अन्वेषण करना उन्हें अनुवीक्षण (मानीटर) करना और उनका मूल्यांकन करना, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित रखने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना और योजना प्रक्रिया में भाग लेना आदि शामिल है। केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है। संविधान के संशोधित अनुच्छेद–338 के उपबंधों के अनुसार किसी मामले या किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग को वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की, विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों में, सारी शक्तियां प्राप्त हैं

(क) भारत के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को समन करना, आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना।

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुतीकरण के लिए आदेश देना।

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति मंगाना।

(ड़) गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना।

(च) कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करें।

1.3 आयोग को राष्ट्रपति के समक्ष वर्ष में एक बार और जब कभी भी आयोग उचित समझे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न सुरक्षणों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगीं जिनमें उनके कल्याण और उत्थान के उपायों से संबंधित सिफारिशें भी होंगी। आयोग ने एक विशेष रिपोर्ट के अलावा अभी तक तीन रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।

1.4 विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मे स्थित आयोग के 16 राज्य कार्यालय हैं। उन कार्यालयों का स्थान और क्षेत्राधिकार और कार्यालय प्रमुखों के पदनाम **अनुबंध 1.II** में दिए गए हैं। ये कार्यालय आयोग के सूचना स्रोत के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि ये कार्यालय अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रो के प्रशासनों के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों और निर्णयों/ आदेशों के बारे में आयोग को सूचित करते रहते हैं। राज्य कार्यालय, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की योजना प्रक्रिया में अपना सक्रिय योगदान देते हैं और विभिन्न समितियों /बोर्डों में आयोग का प्रतिनिधित्व भी करते है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों और संस्थाओं/ यूनियनों से प्राप्त अभ्यावेदनों/शिकायतों पर भी इन कार्यालयों द्वारा आयोग के मार्गनिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है और उपयुक्त मामलों में उन्हें राहत दिलाने की व्यवस्था भी की जाती है। वर्तमान आयोग ने अपने कार्यों में विशेषतया अधिक सक्रिय रूप से वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में राज्य कार्यालयों का, जिनमें अब राज्य के अध्याय भी शामिल है, सहयोग लेना शुरू किया है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए अधिक कारगर ढंग से कार्य करने की आवश्यकता पर बल देने के लिए आयोग के राज्य अधिकारियों की बैठके क्रमशः अगस्त, 1996 और जून 1997 में नई दिल्ली में आयोजित की गई।

1.5 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आयोग अपने सांविधानिक दायित्वों को पूरा करने में प्रभावशाली ढंग से जुटा रहा । आयोग ने इस अवधि के दौरान 25 बैठकें की और इन बैठकों में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्व महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही चर्चा की। इन बैठकों में आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्राथमिकता के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

आयोग की बैठकों के अतिरिक्त आयोग द्वारा निम्नलिखित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बैठकें भी आयोजित की गयी :

(i) 10 जुलाई, 1996 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली मे भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सम्पर्क अधिकारियों की बैठक।

(ii) 27 अगस्त, 1996 को कंस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संपर्क अधिकारियों की बैठक।

(iii) कलकत्ता स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संपर्क अधिकारियों की बैठक। यह बैठक दिनांक 31 अक्तूबर, 1996 को कलकत्ता में आयोजित की गई।

(iv) 16 दिसम्बर, 1996 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्य गृह सचिवों/महानिदेशकों/ पुलिस महानिरीक्षकों (राज्यों में सी आर ई सैल के प्रभारी अधिकारियों) की बैठक।

(v) 11 दिसम्बर, 1996 को संसद भवन में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के लिए संसदीय मंच की बैठक।

(vi) महाराष्ट्र स्थित केन्द्र सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सम्पर्क अधिकारियों की बैठक। यह बैठक मुम्बई में 14.6.97 को आयोजित की गयी।

(vii) 25.7.1997 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक।

(viii) आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सम्पर्क अधिकारियों की बैठक। यह बैठक 17.10.1997 को बेंगलूर में आयोजित की गई।

उपर्युक्त बैठकों में आयोग की भूमिका, कार्यों और शक्तियों पर प्रकाश डाला गया तथा इनसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास की वास्तविक दर को आंकने में भी मदद मिली।

1.6 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्र और राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकास स्कीमों/ कार्यक्रमों पर निगरानी रखने और उनका मूल्यांकन करने से संबंधित कार्य का महत्व समझते हुए आयोग ने पूरा स्टाफ न होते हुए भी अपने "प्रबोधन एवं मूल्यांकन" स्कन्ध को पूर्ण रूप से कारगर बनाने का प्रयास किया। अपने निगरानी एवं मूल्याकंन कार्य को सार्थक बनाने के लिए आयोग ने हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्ष 1996–97 के दौरान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्ष 1997–98 के दौरान समीक्षा बैठकें आयोजित की। इन बैठकों से विभिन्न क्षेत्रो में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई गई विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन और उनके लिए उपबंधित सुरक्षणों को लागू करने का आयोग द्वारा प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया जा सका और इन बैठकों में आयोग, राज्यों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए अधिक प्रभावी और स्पष्ट उपाय सुझा सका।

1.7 जहां तक आयोग के अन्वेषण कार्यों का संबंध है, आयोग के पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की जांच करने

की शक्ति है और वह इसके लिए सक्षम इस सांविधिक उपबंध के पीछे छिपी इस भावना को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित किए जाने की उनकी विशिष्ट शिकायतों की जांच करने के कार्यो को यथोचित महत्व दिया है। इस संबंध में प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए आयोग ने व्यक्तियों/संस्थाओं से प्राप्त इन शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए कुछ मार्गनिर्देश अपनाए हैं। आयोग को प्राप्त अधिकांश शिकायतें सेवा सुरक्षणों से संबंधित हैं क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी सेवाओं/ पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संविधान में किए गए विभिन्न उपबंधों और सरकार द्वारा जारी आदेशों/ से पूर्णतया अवगत हो गए हैं। चूंकि आयोग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों का निपटान बहुत ही सकारात्मक ढंग से करता है इसलिए इसके इस रवैये से प्रोत्साहित होकर बहुत से कर्मचारी अपनी शिकायतें दर्ज करवाने के लिए रोजाना आयोग के कार्यालय में स्वयं पहुँचने लगे हैं। आयोग को दी गयी सिविल न्यायालय की शक्तियां समय पर आयोग को अपेक्षित सूचना/ दस्तावेज प्रस्तुत करने में प्रशासनिक प्राधिकारियों की ओर से बरती गयी सामान्य लापरवाही से संबंधित शिकायतों का निपटान करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई हैं। आयोग ने रिपोर्टाधीन वर्ष में कई मामलों में संबंधित प्राधिकारियों को सुसंगत दस्तावेजों सहित बुलाने के लिए इन शक्तियों का प्रयोग किया। इससे मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित हो सका जिसके परिणामस्वरूप उपयुक्त मामलों में चिर–प्रतीक्षित राहत प्रदान की जा सकी।

1.8 आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के मामलों को लेकर बहुत ही चिंतित है और वह संबंधित प्राधिकारियों पर दबाव डालता रहा है कि वे हर संभव तरीके से इस सामाजिक बुराई पर रोक लगाएं। आयोग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को यह आदेश दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार की किसी भी प्रमुख घटना के घटित होने के समय से 24 घंटे के अन्दर 'निकनेट' के जरिए आयोग को सूचित करें। अत्याचार से पीड़ितों को आर्थिक राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास के लिए उपाय करने और दोषियों को तुरन्त गिरफ्तार करने के प्रयासों पर आयोग कड़ी नजर रखता है। शिकायतों की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए आयोग के अधिकारी उन स्थानों पर भी गए जहां अत्याचार हुए थे।

1.9 आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर योजना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहयोग दे रहा है। आयोग के अधिकारी योजना आयोग और कल्याण मंत्रालय और राज्य/संघ क्षेत्र की सरकारों की विभिन्न बैठकों में भाग लेते हैं। भारत सरकार के मत्रालयों/ विभागों और राज्यों/

संघ क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं पर भी आयोग विचार करता है और जहां आवश्यकता होती है, वहां आयोग अपने उपयोगी सुझाव भी देता है।

1.10 आयोग बार–बार इस बात को दोहराता है कि संविधान के अनुच्छेद–338 (9) के अधीन केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य है कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करें। इस बात को अब प्राधिकारियों ने विधिवत स्वीकार कर लिया है और आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा भेजे गए विधेयकों और अन्य नीतिगत मामलों की जांच करता है। तथापि, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, अनुसूचित जातियों को समूह "क" "ख" "ग" और "घ" में वर्गीकृत करने के संबंध में जारी किए गए आदेशों के मामले में आयोग से परामर्श नहीं किया गया था और बाद में इसी बात को लेकर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ये ओदश रद्द कर दिए गए थे।

1.11 आयोग को मानव शक्ति के अभाव में और उसके लिए रखे गए बजट के अपर्याप्त होने के कारण, अपने उपरोक्त कार्यों और क्रियाकलापों को सहज रूप से करने में काफी कठिनाई आ रही है। पूर्व अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आयुक्तों और राष्ट्रीय असांविधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के 72 पदों को 12.3.1992 को समाप्त कर दिया गया था और इस बारे में लम्बे समय से पत्राचार किए जाने और उच्च स्तरीय बैठकें बुलाने के बावजूद अभी तक ये पद दुबारा नहीं बनाए गए। इन 72 पदों के अतिरिक्त आयोग अपने कम्प्यूटर सैल, विधि सैल, जनसम्पर्क सैल के लिए 15 नए पद देने के लिए अनुरोध करता आ रहा है जो आयोग द्वारा निर्बाधरूप से अपना कार्य करने हेतु बहुत आवश्यक हैं, अभी सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। जहांतक बजट का संबंध है, आयोग मुख्यालय और राज्य कार्यालयों का आधुनिकीकरण करने की योजना को अभी रोक रखने के लिए विवश है क्योंकि इस प्रयोजन के लिए सरकार ने आवश्यक धनराशि मंजूर नहीं की है। अतः यह जरूरी है कि सरकार आयोगों को अपेक्षित मानव शक्ति उपलब्ध कराए और पर्याप्त बजट मंजूर करे जिससे आयोग अपना कार्य सुचारू रूप से करते हुए अपने सांविधानिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

रजिस्ट्री सं. डी(डीएन)127/88 REGISTERED NO. D(DN)127/88

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
प्राधिकार से प्रकाशित

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 1
PART II—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 1990/ज्येष्ठ 18, 1912
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 1990/JYAISTHA 18, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि तथा न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, जून 8, 1990/ज्येष्ठ 18, 1912 (शक)

संसद् के निम्नलिखित अधिनियम को जून 7, 1990, को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और एतद्द्वारा इसे सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है—

संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990

(जून 7, 1990)

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. संविधान के अनुच्छेद 338 में,— अनुच्छेद 338 का संशोधन।

(क) पार्श्वशीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्वशीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग।";

(ख) खंड (1) और खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग कहा जाएगा।

(2) संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच अन्य सदस्यों से मिल कर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें।

(3) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेंगे।

(4) आयोग को अपनी कार्यविधि स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित सुरक्षणों से संबंधित सब विषयों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना तथा ऐसे सुरक्षणों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया विषय में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास में प्रगति का मूल्यांकन करना;

(घ) उन सुरक्षणों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन पेश करना;

(ङ) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन सुरक्षणों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए, तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफ़ारिश करना; और

(च) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(6) राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संघ से संबंधित सिफ़ारिशों पर की गई या प्रस्थापित कार्रवाई को और किन्हीं ऐसी सिफ़ारिशों की अस्वीकृति के, यदि कोई हों, कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेंगे।

(7) जहां कोई ऐसा प्रतिवेदन, या उसका कोई भाग, किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है तो ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य से संबंधित सिफ़ारिशों पर की गई कार्रवाई या प्रस्थापित कार्रवाई को, और किन्हीं ऐसी सिफ़ारिशों

की अस्वीकृति के, यदि कोई हों, कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवायेंगे।

(8) खंड 5 के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत के बारे में जांच करते समय आयोग को दीवानी अदालत की वे सभी शक्तियां, जो वाद के विचारण में उसे हैं तथा विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में सभी शक्तियां, होंगी, अर्थात् :—

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को 'समन' करना और हाज़िर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना,

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना,

(ङ) साक्षियों और दस्तावेज़ों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना,

(च) कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति, नियम द्वारा, अवधारित करें।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीति के विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।"

(ग) विद्यमान खंड (3) को खंड (10) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा।

अनुबंध 1.II

(संदर्भ पैरा 1.4)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के राज्य कार्यालयों की अवस्थापन और अधिकार क्षेत्र

क्रम सं.	अवस्थापन	कार्यालय का पदनाम	अधिकार–क्षेत्र
1.	अगरतला	सहायक निदेशक	त्रिपुरा
2.	अहमदाबाद	निदेशक	गुजरात, दादरा और नगर हवेली
3.	बेंगलूर	निदेशक	कर्नाटक
4.	भोपाल	निदेशक	मध्यप्रदेश
5.	भुवनेश्वर	निदेशक	उड़ीसा
6.	कलकत्ता	उप–निदेशक	पंश्चिमबंगाल, सिक्किम,अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
7.	चण्डीगढ़	निदेशक	पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, जम्मू–काश्मीर और हिमाचल प्रदेश
8.	गुवाहटी	निदेशक	असम, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश और नागालैण्ड
9.	हैदराबाद	उप–निदेशक	आन्ध्र प्रदेश
10.	जयपुर	सहायक निदेशक	राजस्थान
11.	लखनऊ	निदेशक	उत्तर प्रदेश
12.	मद्रास	निदेशक	तमिलनाडु और पांडिचेरी
13.	पटना	सहायक निदेशक	बिहार
14.	पुणे	निदेशक	महाराष्ट्र, गोवा दमन एवं दीव
15.	शिलांग	सहायक निदेशक	मेघालय, मिजोरम
16.	तिरूअनंतपुरम	सहायक निदेशक	केरल और लक्षद्वीप